

प्रबन्धक,
मवदीय पादिक स्कूल महोबरा बाजार,
शिक्षाकेन्द्र-नगर, फैजाबाद।

पत्रांक : मान्यता / अंग्रेजी मार्ग / ५५३ - ६० / 2018-19

दिनांक : 12.04.2018
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधि. नियम 16 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्राप्त-पत्र।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के क्रम में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय जांच-आख्या व संस्कृति एवं सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) की अद्यक्षता में गठित मान्यता समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के प्रतिनिर्देश से, मैं भवदीय पादिक स्कूल महोबरा बाजार, शिक्षाकेन्द्र-नगर, फैजाबाद को अंग्रेजी माध्यम से पत्र निर्माण तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कक्षा नवारी से कक्षा 08 तक के लिए अनतिम मान्यता प्रदान करने की संस्कृता देता हूँ।

उपरोक्त मंजरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है -

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध-2) के उपरबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा नवारी/एक में बालकों की संख्या के पश्चात्स प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उहाँ निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपरबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति दिया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक्षण्यीय विद्यालय की पूरी कार्रवाई नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्फीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपरबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

 - a. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - b. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - c. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई योई परिक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - d. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकाशित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - e. अधिनियम के उपाबन्ध के अनुसार निःशयता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - f. अद्यापकों की अर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाशित न्यूनतम अर्हताओं के साथ जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अंजित करेंगे।
 - g. अद्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनियोग अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
 - h. अद्यापक वर्षों को किसी निझी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाशित पाठ्यपत्रों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

U. Daudayal
PRINCIPAL
MANAGEMENT COLLEGE

8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।

• विद्यालय नियमण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं नियमानुसार हैं—

• कुल निर्मित - 6630 रुपयोगी

• कीड़ीगारी - उपलब्ध है।

• कक्षाओं की संख्या - 10 (वर्षा)

• प्रशान्नाध्यापक—सहकार्यपत्र, सह-भंडागार के लिए कक्षा - 2 (दो)

• लातक और बालिकाओं के लिए पृथक शोधालय - उपलब्ध है।

• पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।

• बाधारहित पंहुच - उपलब्ध है।

• अध्यापन पठन सामग्री /कीड़ा खेलफूट उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता -उपलब्धता है।

9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गेर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं बलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(का21)के अधीन रजिस्ट्रीकूल किसी सोसायटी द्वारा या तत्सम्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक च्यास द्वारा बलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्याप्ति, व्यास्ति के समूह या संगम या किफी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं बलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्डड एकारंटेण्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। प्रत्येक लेखा

14. आपके विद्यालय को आवृट्ट नाम्यता कोड संख्यांक 1812670487 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के स्थान किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोलिस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्मात करने के अनिलेखों/ प्रपत्रों/ सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न यदि त्रुटिपूर्ण/ भिन्न्या/ भ्रामक/ तथ्यगापन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है, तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरत समझी जायेगी, जिसका समूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/ अधिनियमों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

पृ. स मान्यता /अंग्रेजी मार्ग / प्रतिलिपि : नियमितिकृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु प्रेषित -

1. सचिव, उ.प्र. वैसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

2. सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

3. जिला परायतराज अधिकारी, फैजाबाद।

4. जिला समाज कर्त्याण अधिकारी फैजाबाद।

5. जिला अल्पसंख्यक/ पिछावार कर्त्याण अधिकारी फैजाबाद।

6. वित एवं लेखाविकारी, वैसिक शिक्षा, फैजाबाद।

7. संवित खण्ड शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद फैजाबाद।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
(अभिमता स्थित)
फैजाबाद।

/2018-19 राजदिनांक

1. सचिव, उ.प्र. वैसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

2. सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

3. जिला परायतराज अधिकारी, फैजाबाद।

4. जिला समाज कर्त्याण अधिकारी फैजाबाद।

5. जिला अल्पसंख्यक/ पिछावार कर्त्याण अधिकारी फैजाबाद।

6. वित एवं लेखाविकारी, वैसिक शिक्षा, फैजाबाद।

7. संवित खण्ड शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद फैजाबाद।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
(फैजाबाद।

Bunni Jangir
PRINCIPAL
ELAHDIVY PUBLIC SCHOOL
AJODHIA